Seen

D.D.

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :– Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के सात (07) राजकीय पोलिटेकनिक, बहरागोड़ा, चाण्डिल, गोला, गुमला, गढ़वा, पाकुड़ एवं जगरनाथपुर के संचालन संबंधी निर्णय।

....

झारखण्ड राज्यान्तर्गत तकनीकी शिक्षा के उत्थान, राज्य के छात्रों को अन्य राज्यों में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पलायन को रोकने, आर्थिक रूप से पिछडे गरीब छात्रों एवं सुदूर गाँवों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा राज्य के अन्दर ही प्रदान करने, साथ ही राज्य को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर लाने हेतु, राज्य सरकार ने वर्ष 2012–13 में नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थानों को Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत (i) राज्य के अग्रणी उद्योग (ii) उच्च कोटि के शिक्षण जगत में सोसाईटी अथवा ट्रस्ट अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तत्कालीन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) द्वारा इस संबंध में लाये गये प्रस्ताव पर दिनांक 26.06.2012 में मद सं0 17 के रूप में सम्मिलित करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा तीन (03) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, रामगढ़, दुमका एवं चाईबासा तथा एक (01) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, सिल्ली को PPP Mode पर संचालन पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण में उक्त चार (04) तकनीकी शिक्षण संस्थानों के संचालन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए एवं Jharkhand Infrastructure Development Corporation Limited (JINFRA) द्वारा तैयार RFP की समीक्षा ज्ञापांक वि0प्रा0/नि0स0–25–31/10–67/स0को0, दिनांक 03.07.2011 द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा कराने के उपरान्त Private Partner का चयन RFP में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। इस प्रकार चार (04) तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन PPP Mode पर करने हेतु Techno India Group, Kolkata के साथ एकरारनामा किया गया। द्वितीय चरण में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत निर्माणाधीन सात (07) पोलिटेकनिक संस्थान यथा बहरागोड़ा, चाण्डिल, गोला, गुमला, गढ़वा, पाकुड़ एवं जगरनाथपुर को PPP Mode पर संचालित करने हेतु Transaction Manager के रूप में Jharkhand Infrastructure Development Corporation Limited (JINFRA) के साथ किये जाने वाले Memorandum of Agreement के प्रस्ताव पर दिनांक 14.10.2015 में मद सं0 6 के रूप में सम्मिलित करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गई। तदुपरान्त दिनांक 27.10.2015 को JINFRA के साथ MOA हस्ताक्षरित किया गया। JINFRA द्वारा सार्वजनिक एवं निजी सहयोग (PPP) अन्तर्गत सात (07) पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन हेतु Bid Processing एवं Private Partner के चयन का कार्य विभाग

कृ0पृ0उ0

के अधिनस्थ पूरा किया जायेगा। JINFRA को Professional Fee के तौर पर प्रति संस्थान 15.00 लाख एवं अनुमान्य लागू सेवा कर आदि विभाग द्वारा देय होगा। सफल Bidder द्वारा विभाग को इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी।

The Jharkhand Infrastructure Development Corporation Limited (JINFRA) द्वारा Request For Proposal , Concession Agreement एवं Project Information Memorandum विभाग के समन्वय एवं ज्ञापांक वि0प्रा0/नि0स0–25–31/10–67/स0को0, दिनांक 08.07.2011 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के दिनांक 07.12.2015 को आयोजित बैठक में दिये गये परामर्श के अनुसार तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नवनिर्मित सात (07) नये संस्थानों यथा बहरागोड़ा, चाण्डिल, गोला, गुमला, गढ़वा, पाकुड़ एवं जगरनाथपुर को Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत संचालन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् होंगे :–

2) <u>संचालन</u>

संचालन हेतु Private Partner के रूप में तीन (03) तरह के विकल्प होंगे :–

क) राज्य के अग्रणी उद्योग :–

राज्य के अग्रणी उद्योग द्वारा झारखण्ड राज्य में एक प्रोजेक्ट लगाये हो, की लागत कम से कम रू0 750.00 करोड (सात सौ पचास करोड) एवं अगर दो प्रोजेक्ट लगाये हो की प्रत्येक की लागत रू0 400.00 करोड (चार सौ करोड) कम से कम होनी चाहिए। साथ ही, Average Annual Turnover - रू0 5.00 करोड (पॉच करोड) एवं Net Worth - रू0 2.50 करोड (ढाई करोड) से कम नहीं होनी चाहिए।

ख) **CSR Route** - कम्पनी अधिनियम 2013 की परिभाषा के तहत सी0एस0आर0 के लिए विचार किये जाने योग्य कम्पनियों को RFP में वर्णित Fulfilling the seat requirement से मुक्त रखा जायगा। परन्तु, Turnover एवं Net Worth के शर्त्तो को पूरा करना होगा। यदि इस विकल्प के तहत कम्पनी का चयन किया जायेगा तो उन्हें संस्थान के संचालन हेतु फ्रेंचाईजी नियुक्त करने की अनुमति होगी। नियुक्त फ्रेंचाईजी को RFP में निर्धारित शर्तो को पूरा करना होगा। इस विकल्प के तहत कम्पनी की पात्रता तभी होगी जब उनके प्लांट/मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय झारखण्ड राज्य में अवस्थित होंगे।

ग) उच्च कोटि के शिक्षण जगत के प्रबंधन ट्रस्ट अथवा सोसाईटी अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 :-

ट्रस्ट अथवा सोसाईटी अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 या तकनीकी शिक्षण संस्थान संचालन समूह जो कम से कम 01 (एक) संस्थान (डिप्लोमा अथवा डिग्री) का संचालन कर रहा हो एवं पिछले लगातार पॉच (05) शैक्षणिक वर्षो में संस्थान को All India Council for Technical Education (AICTE) द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो एवं सभी संकायों को मिलाकर विगत पॉच (05) शैक्षणिक

वर्षो में छात्रों/छात्राओं की संख्या (Cumulatively) 1000 हो। साथ ही पिछले पॉच (05) लगातार शैक्षणिक वर्षो हेतु AICTE के Web Portal पर समर्पित Online Application पर Zero Deficiency Report Generate किया गया हो। साथ ही, RFP के अनुसार Turnover एवं Net Worth के शर्त्तो को भी पूरा करना होगा। यदि इस विकल्प के तहत कोई Bidder एक से अधिक संस्थान हेतु निविदा डालता है तो उस स्थिति में सीट, Turnover एवं Net worth दोगुना होगा।

Bid due date से विगत तीन (03) वर्ष पूर्व से यदि कोई Bidder को राज्य में निर्मित तीन (03) से ज्यादा तकनीकी संस्थान PPP Mode पर संचालन हेतु दिया गया हो तो वे निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3) **<u>नामांकन प्रक्रिया</u>**

सभी संस्थान में नामांकन All India Council for Technical Education (AICTE) द्वारा स्वीकृत सीटों पर होगी तथा समय–समय पर AICTE द्वारा जारी दिशा–निर्देश संस्थानों पर लागू होगी।

पोलिटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध कुल नामांकन क्षमता का नामांकन अनुपात निम्न प्रकार होगा :–

a) Students from Jharkhand - 80%
b) Admission at the Institute Level (as per the guideline issued by GOJ from time to time) for the students from all over India - 20%

झारखण्ड के छात्र/छात्राओं के लिए पोलिटेकनिक संस्थानों में 80% सीट आरक्षित होंगे। जिसके लिए नामांकन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद या सरकार द्वारा अगर कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तब उस आधार पर होगा। नामांकन झारखण्ड राज्य या केन्द्र में लागू आरक्षण नीति के अनुसार होगा।

संस्थान स्तर पर पोलिटेकनिक संस्थानों के 20% सीट पर नामांकन (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप) होगा, जिसमें पूरे देश से छात्र/छात्रा भाग ले सकेंगे।

संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाला शिक्षण एवं अन्य शुल्क RFP के कंडिका 1.1.15.1, 1.1.15.2 एवं 1.1.15.3 के अनुसार होगा। वर्त्तमान में निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी शिक्षण संस्थानों का शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा गठित शिक्षण शुल्क समिति द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार इन संस्थानों का शिक्षण एवं अन्य शुल्क, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जब तक सरकार कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है।

4) Technical Bid के आधार पर प्रारम्भिक सफल Bidder का चयन Request For Proposal (RFP) के कंडिका 2.11 के आधार पर किया जायेगा। इसके उपरान्त संस्थान के संचालन हेतु Private Partner का चयन RFP के कंडिका 2.12 के अनुसार Financial Bid के आधार पर किया जायेगा। संस्थान का संचालन उसी Private Partner को दिया जायेगा जो Financial Bid में अधिकतम Free Seats (न्यूनतम 10% seats) देगा। Free Seats के लिए शुल्क, राजकीय पोलिटेनिक

संस्थानों में लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (छात्रावास शुल्क को छोडकर) के अनुसार होगा।

5) विभाग द्वारा निर्मित सभी भवनों एवं भूमि पर सरकार का स्वामित्व होगा एवं सभी भवनों का अनुरक्षण Private Partner के जिम्मेवारी होगी। Concession Period के समाप्ति तक सभी भवनों को उसी स्थिति में वापस करनी होगी जिस स्थिति में Private Partner को भवन दिया जायेगा। निजी भागीदार द्वारा विकसित सभी प्रकार के चल/अचल सम्पत्ती व सुविधाएँ Concession Agreement के अवधि समाप्त होने पर सरकार का स्वामित्व स्वतः हो जाएगा एवं सरकार द्वारा इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि निजी भागीदार को देय नहीं होगा।

6) उपरोक्त के आलोक में राज्य के अग्रणी उद्योग/उच्च कोटि के शिक्षण जगत में कार्यरत (सोसाईटी) अथवा ट्रस्ट Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 के साथ सरकार द्वारा 20 वर्षो के लिए अनुबंध किया जायेगा। विभाग द्वारा संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध को अगले 10 वर्षो के लिए विस्तारित किया जा सकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा निर्मित राजकीय पोलिटेकनिक, बहरागोड़ा, चाण्डिल, गोला, गुमला, गढ़वा, पाकुड़ एवं जगरनाथपुर का सार्वजनिक निजी सहयोग (Public Private Partnership Mode) द्वारा संचालन Concession Agreement एवं संचालनकर्त्ता का चयन RFP के अनुसार होगा। Private Partner द्वारा संस्थान के संचालन का प्रबंधन किया जायेगा एवं उनके सभी क्रिया–कलापों का अनुश्रवण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

7) उपरोक्त के आलोक में e-Tender के माध्यम से प्रकाशित RFP No. DHTE/TE/3/2015-16, JINFRA के Bid Evaluation Report एवं गठित निविदा समिति के अनुशंसा पर 03 (तीन) पोलिटेकनिक संस्थानों को निम्नलिखित Private Partner द्वारा PPP Mode पर संचालन किया जायेगा।

Sl. No.	Government Polytechnic	Name of Successful Bidder
1.	Chandil	Guru Nanak Educational Trust
2.	Gola	Guru Nanak Educational Trust
3.	Pakur	Bhubaneswar Polytechnic in consortium with Cybotech Campus

8) प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9) प्रस्ताव पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

10) उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2016 को मद संख्या 27 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0 / विविध–124 / 11 / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रानालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।

ह0 / –

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0 / विविध–124 / 11 / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0 / विविध–124 / 11 / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, सातवीं मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0 / विविध–124 / 11 / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0 / विविध–124 / 11 – 128 / राँची, दिनांक :– 18/3/16

प्रतिलिपि :– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची / निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / विभाग के सभी पदाधिकारी / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक / महिला पोलिटेकनिक / सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव